रक्तदान शिविर आयोजित

मानपुरा माचेडी। अचरोल में शुक्रवार को धर्मपाल मीणा के जन्मदिन पर अचरोल तिराया गौशाला में रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया। रक्त दान शिविर में चोमू, सीकर, नागौर, खेजरोली, शाहपुरा, मनोहरपुर, अचरोल, जमवारामगढ़ एवं जयपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने शिविर में सहभागिता निभाई। शिविर के आयोजक अनिल कटारिया ने बताया कि चोमू राजधानी ब्लड बैंक एवं निम्स हॉस्पिटल की टीम द्वारा कुल 192 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।

'डिजिटल माध्यम से आगुन्तकों का मिलना हुआ सहज, सुगम व पारदर्शी'

कोटपूतली। जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई द्वारा शुक्रवार को " स्वागतम् वेब पोर्टल " का विधिवत् फिता काटकर शुभारम्भ किया गया। इस मौके पर एसपी बिश्नोई ने कहा कि डिजिटल माध्यम से अब आगुन्तकों का मिलना सहज, सुगम व पारदर्शी होगा। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत वर्ष 2019 में विकसित किया

- **बिश्नोई ने कहा कि इस प्रक्रिया से नागरिकों को लम्बी कतारों से मुक्ति व समय की बचत होगी**

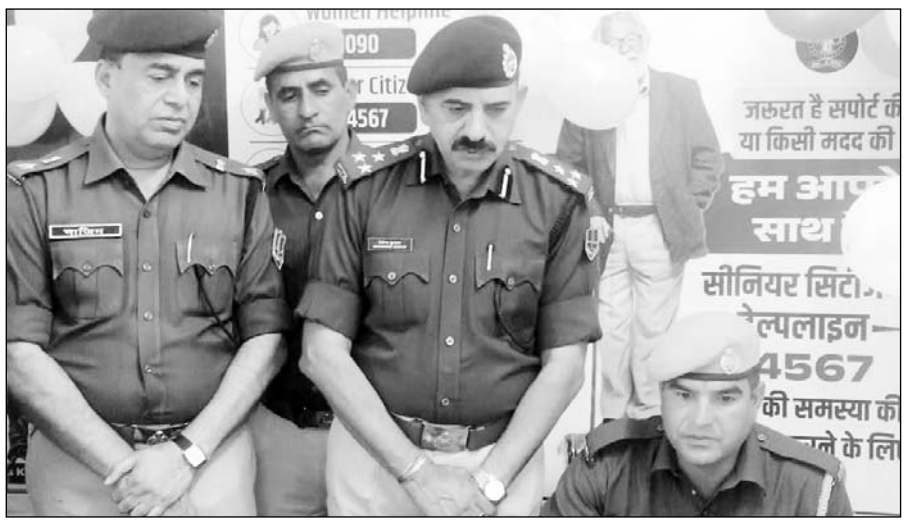

एसपी देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने 'स्वागतम् वेब पोर्टल' का किया शुभारम्भ।

गया " स्वागतम वेब पोर्टल " सरकारी कार्यालयों में आगन्तुकों के प्रवेश की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का एक अभिनव प्रयास है। यह पोर्टल एक केंद्रीकृत, क्लाउड आधारित समाधान है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों से मिलने की प्रक्रिया को आसान, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है, जिससे नागरिकों को असुविधा से बचाया जा सके।

एसपी बिष्नोई ने कहा कि आगन्तुकों के प्रबंधन में दक्षता, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के साथ आगन्तुकों के समय की बचत और मिलने की प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु इस प्रक्रिया को अपनाया गया हैं, जिसमें कार्यालय में आने वाले आगन्तुक अपनी समस्याओं की सुनवाई हेतु ऑनलाईन अपॉईंटमेंट से अथवा कार्यालय में आकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं कार्यालय में पंजीकरण हेतु रिसेप्शन पर आगन्तुक का विवरण, मिलने का कारण, फोटो, आई.डी. आदि विवरण दर्ज कर पंजीकरण किया जावेगा। शुभारम्भ के दौरान परिवादिया को हरित उपहार भेंट कर " स्वागतम् वेब पोर्टल " से रसीद प्रदान की गई। इस पोर्टल के द्वारा परिवादियों का रिकॉर्ड भी संधारण किया जा सकेगा कि परिवादी पहले कब आया था व उसके द्वारा दी गई शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई।

बैठक आयोजित

कोटपूतली। अग्रवाल समाज समिति कोटपूतली एवं वेल्टन हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में 22 फरवरी रविवार को आयोजित होने वाले रोबोटिक घुटना एवं कुल्हा प्रत्यारोपण परामर्श शिविर के संबंध में अग्रवाल समाज समिति की बैठक अध्यक्ष एड. योगेश शरण बंसल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शिविर की रूपरेखा, व्यवस्थाओं एवं प्रचार-प्रसार पर विस्तृत चर्चा की गई। पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं तथा अधिक से अधिक लोगों तक शिविर की जानकारी पहुंचाने का निर्णय लिया गया। मीडिया प्रभारी हेमन्त मोरीजावाला ने कहा कि यह शिविर आमजन को आधुनिक रोबोटिक तकनीक से होने वाली जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की जानकारी एवं विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। परामर्श विशेषज्ञ महात्मा गांधी हॉस्पिटल के डॉ. संदीप यादव व उनकी टीम द्वारा दिया जायेगा। बैठक में समिति के कार्यकारिणी सदस्य अमरनाथ बंसल, सुभाष चंद्र बंसल, दीपक ततारपुरिया, दिनेश सिंघल, अशोक बंसल, राजेश सवाईका, मनोज अग्रवाल, सूर्यकांत मोदी, संगम गुप्ता, अमित अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल समेत अन्य मौजूद रहे।

खैरथल तिजारा जिले में 22 प्रतिष्ठानों के सैंपल फेल

खैरथल। खैरथल तिजारा जिले में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की और से पिछले चार माह में लिए गए सैम्पल में करीब 22 अलग अलग खादय पदार्थ के नमूने अभी तक फैल पाएं जाने पर एडीएम कोर्ट ने संबंधित फर्मो पर लगभग 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

- **एडीएम कोर्ट ने लगाया 46 लाख का जुर्माना**

इनमें असुरक्षित एवं अवमानक श्रेणी में पाए गए भिवाड़ी स्थित गोल्डन ट्ययूलिप होटल का पनीर एवं दही, विनोद बिग बाजार भिवाड़ी का सप्तऋषि ब्रांड सिंघाड़ा आटा, तथा रोशन लाल एंड ब्रदर्स तिजारा का मास्टर जी ब्रांड गुलाब शरबत शामिल हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरविंद गेट ने बताया कि पिछले चार महीनों के दौरान जिले में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए गए सैंपलों में से करीब 22 फर्मों के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फेल पाए गए हैं। फर्मों पर लगभग 46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

अधिकारी ने कहा है कि आगामी होली एवं शादी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत दूध, मावा, मिठाई, मसाले, पेय पदार्थ एवं अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच की जाएगी, ताकि आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।

इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिले की कई प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थ असुरक्षित एवं अवमानक श्रेणी में पाए गए हैं। इन सभी मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पड़ोसी के लाखों के आभूषणों की चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार

सांभरझील। ज्वेलर्स की दुकान घर से लाखों रुपए के आभूषण चोरी करने के मामले में मोकमपुरा पुलिस ने तीन कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ऋषभ सोनी पुत्र आनन्द सोनी जाति सुनार उम्र 20 साल निवासी सतनाली हरियाणा हाल निवासी मौखमपुरा थाना मौखमपुरा ने रिपोर्ट में लिखाया था कि मेरी मौखमपुरा स्टैण्ड पर ऋषभ ज्वेलर्स से रात दिनांक 26 जनवरी को रोज की तरह दुकान बढाकर घर चला गया और सुबह दुकान आकर देखा तो मेरी दुकान के सभी ताले टूटे हुए थे और दुकान के अन्दर का सारा सोने चाँदी का सामान गायब था। मेरी दुकान है सोने की बालिया), चांदी की लेडिज अंगुठिया दो डब्बे, चांदी की जेंट्स ज अंगुठिया दो डब्बे, चांदी के हार सेट, चाँदी की 30-40 जोडी पायल की, चांदी की चैन, चांदी की बिछिया के चार डब्बे लगभग 300 जोड़ी, चांदी की चूडिया, ब्रासलेट,नजरिये, गाय,हाथी, सिक्के, पातडी, घुंघरु, कुवे तथा अन्य चांदी का सामान था तथा 15000 रु नगदी और एक चांदी की लगभग 400 ग्राम सितली थी तथा पुरानी सोने के कुछ टुकडे और मेरी दुकान में छोटी तिजौरी थी जिसमे पुरानी चांदी की पायल, विछिया, चैन, अंगुठी अन्य पुराना सामान था जिसकी कीमत दो से ढाई लाख के आसपास थी। मेरे दुकान से लगभग 16 से 18 लाख के बीच सामान चोरी हुआ है तथा उसी रात को मौखमपुरा मे मेरे पडौसी भुरारास गुर्जर के घर पर रखे बक्से मे रखी 3 मावलिया सोने के व 1 कनकती चांदी की व एक बोरला सोने का रखा था थानाधिकारी मौखमपुरा सुरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी सहयोग व आसुचना संकलन के आधार पर सीसीटीवी फुटेज चैक करते हुए संभावित स्थानो पर दबिश देकर ज्वैलर्स की दुकान में चोरी की घटना कारित करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ जयपुर शहर के विभिन्न थानों में कुल 30 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं तथा दूसरे आरोपी के खिलाफ भी जयपुर शहर के विभिन्न थानों में कुल 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी मुकेश उर्फ नोहर पुत्र भंवर लाल जाती बावरिया उम्र 24 साल निवासी बासडी भांकरोटा थाना भांकरोटा जिला जयपुर शहर, बल्ला उर्फ डेड आँख पुत्र मोहन लाल जाति बावरिया उम्र 39 साल निवासी बासडी भांकरोटा थाना भांकरोटा व रामफुल उर्फ कुतिया पुत्र रामचन्द्र जाति बावरिया उम्र 20 साल निवासी खोरा मीना थाना आमेर जिला जयपुर के रहने वाले हैं।

'जनगणना के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य पूर्ण निष्ठा से सम्पादित करें'

कोटपूतली। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रस्तावित 16 वीं जनगणना 2027 के अन्तर्गत जिले में चार्ज कार्यालयों में नियुक्त नियमित सहायक/जनगणना लिपिकों का तीन दिवसीय गहन प्रशिक्षण जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला जनगणना अधिकारी एवं एडीएम ओमप्रकाश सहारण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया तथा प्रायोगिक प्रशिक्षण राजकीय औद्योगिक संस्थान कोटपूतली में शुक्रवार को आयोजित किया गया। एडीएम ने कहा कि यह देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी, जो केवल आंकड़ों का संकलन नहीं बल्कि राष्ट्रीय नीतियों, योजनाओं, विकास की दिशा निर्धारण तथा परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण कार्यो की आधार शिला है। उन्हांने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के चार्ज कार्यालयों में नियुक्त नियमित सहायक/जनगणना लिपिकों को निर्देशित किया कि वे तकनीकी एवं व्यवहारिक चुनौतियों को गंभीरता से लेते हुये समयबद्ध एवं त्रुटिरहित कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण के तहत 01 मई से 15 मई तक निर्धारित स्वगणना तथा मकान सूचीकरण की गणना 16 मई से 14 जून की अवधि में आयोजित की जायेगी। आमजन को अधिकाधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही समस्त प्रशासनिक दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने पर बल दिया गया।

समापन सत्र में तहसीलदार रामधन गुर्जर ने जनगणना 2027 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण डिजिटल प्रक्रिया का प्रबंधन एवं निगरानी सीएमएमएस (सीएमएमएस) पोर्टल के माध्यम से की जावेगी। ब्लॉक/सुपरवाईजर्स सर्किल निर्माण से लेकर प्रशिक्षण प्रबन्ध तक के सभी कार्य पोर्टल आधारित होगें। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान जयपुर से आये मास्टर ट्रेनर दीपक एवं लोकेश द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रथम चरण की व्यवहारिक चुनौतियों, मकान सूचीकरण प्रक्रिया, सीएमएमएस पोर्टल, एचएलबीसी वेब एप्लीकेशन एवं हेलो मोबाईल एप के तकनीकी पहलुओं की गहनता से प्रशिक्षण कार्यक्रम में जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से प्रोग्रामर मनोज कुमार, उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से बाबूलाल बैरवा जनगणना प्रकोष्ठ प्रभारी, गौरव कुमार सांख्यिकी निरीक्षक, भानेश कुमार मिश्रा सूचना सहायक एवं चार्ज कार्यालयां (ग्रामीण/शहरी) के नियमित सहायक/जनगणना लिपिकों ने भाग लिया।

नाम परिवर्तन

मैं देशमुख भाग्यश्री राहुल पत्नी आर्मी नंबर 15224157P लान्स/नायक देशमुख राहुल भरत निवासी स्थान वीपीओ जायगांव तहसील खटाव जिला सातारा महाराष्ट्र पिन 415510 मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड में नाम देशमुख भाग्यश्री राहुल गलत दर्ज है मेरे डॉक्यूमेंट और आधार और पैन कार्ड में मेरा सही नाम भाग्यश्री राहुल देशमुख

I No. 2848215K Ex Hav Paratap Singh changed my wife name & DOB in my service record from Sugna Devi, DOB 19.5.1946 to Sugan Kanwar, DOB 15.6.1950 for all purpose in future. R/o Village Dhakas, Tahsil Ramgarh, District Sikar, Rajasthan- 331024

I Radha Devi legally wedded spouse of army no 13908813F rank Late Babu Lal resident of flat no G-2 plot 16 Shree apartment Gayatri nagar A sanganer Jaipur that i want to change my name from RADHA DEVI To RADHA RANI SHARMA vide affidavit dated 13/2/26 before district sub majistrate Jaipur second sanganer

I army no 2701854L Rank Ex SEPOY Vinod Kumar Raghav resident of plot no 69 Balaji Vihar 25 Ext Jaipur 302013 that I want to change my spouse of name from AADITYA RAGHAV To ADITYA RAGHAV vide affidavit dated 18 feb 2026 before sub divisional officer chomu Jaipur

I rukmani legally wedded spouse of army no 14357197 Rank Late GNR Name Dharam singh gurjar resident of sewra ki dhani baswa dist dausa that I want to change my name from RUKMANI To RUKAMANI DEVI vide affidavit dated 16/2/26 before district sub divisional officer bandikui dausa

खोया पाया

दुकान नंबर 5, आवास संख्या 4-झ-26, नाहरी का नाका जयपुर के मूल आवंटन, भौतिक कब्जा पत्र, डिक्लेरेशन लेटर पत्र कहीं गुम हो गए है। मिलने पर संपर्क करें। 9829017944

3-छ-28 जवाहर नगर, जयपुर का मूल आंवटन पत्र, डिक्लेरेशन लेटर कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करे। 9664273013

मेरा सिग्नेचर शुदा एक्सिस बैंक के 2 चैक, 18 माह पुराना 500/- रुपए का स्टांप पेपर, 2 पाई पेपर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कहीं खो गये। मिलने पर सूचित करें। लोकेश सक्रवाल मोबाइल- 7976189929

मेरे भूखण्ड सं.-101A पाथिक भवन निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना गोपालपुरा बाईपास रोड जयपुर का सहकारी समिति से जारी मूल सोसाइटी साईट प्लान कही गुम हो गया है सूचित करे- भूरी देवी मो. 9166728912

मेरे भूखण्ड सं.-1 श्री छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना- रामनाथ पूरी झोटवाड़ा जयपुर का मूल जे.डी.ए. पट्टा और साईट प्लान कही गुम हो गया है सूचित करे- फूल चन्द मीणा मो. 9829053478

मेरे भूखण्ड सं. P-25 जयपुर विकास न्यास की योजना फतेह टीबा आदर्श नगर जयपुर का जयपुर विकास न्यास से जारी मूल आवंटन-पत्र एवं साईट प्लान कही गुम हो गये है मिलने पर सूचित करे- यशवंत मो. 9783747175

मेरे भूखण्ड सं.-A-25 मोती भवन निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना स्कीम नं.-12 बी जयपुर का पंजीकृत जे.डी.ए. पट्टा व साईट प्लान और पट्टे के साथ संग्लन स्टाम्प पेपर कही गुम हो गये है सूचित करे - आशा बाल्यान मो. 9892000621

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1474
चूंकि प्रार्थी श्री GIRIRAJ PRASAD GUPTA, INDIAN OVERSEAS CAMPUS, SHEOPUR ROAD, PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास राजस्थान इंटीग्रेटेड डेवलमेंट इंस्टीट्यूट 68/371, PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 23.04.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

आम-सूचना हस्बे हिदायत मेरे मुव्विकिल श्री मुनव्वर पुत्र श्री अब्दुल हबीब आयु 52 साल, निवासी 5, रहमत कॉलोनी, नाई की थेड़ी रामगढ़ रोड जयपुर की और से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुव्विकिल का पुत्र फरहान खान मेरे मुवक्किल के कहने में नहीं है एवं उसका कहा नहीं मानता है इस कारण से मेरे मुवक्किल ने फरहान खान को अपनी चल व अचल सम्पत्ति व जिन्दगी से बेदखल कर दिया है अब फरहान खान का मेरे मुवक्किल की सम्पत्ति व जिन्दगी से कोई लेना देना व संबंध नहीं है अतः जो कोई भी फरहान खान से लेन देन करेगा या संबंध रखेगा उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा।
सूचित रहे।
भवदीय
जयपुर (खलील अहमद)
दिनांक :- 20/02/2026 9829188186

कार्यालय उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम जयपुर
(नई विधानसभा के पास, लालकोठी, जयपुर)
क्रमांकः-एफ ( )न.नि.ज.मा.न. जोन /2025/460 दिनांक: 12/02/2026
सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा भूखण्ड संख्या 880 बरकत नगर न्यु पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर का पट्टा विलेख जिसका क्षेत्रफला 200.00 वर्गगज का पट्टा श्रीमती अमीनी एस. पिल्लई पुत्री श्री पद्मनाभन पिल्लई को दिनांक 08.06.2000 को जारी किया गया है। मूल आवंटी श्री मती अमीनी एस. पिल्लई पत्नि एन.एस. पिल्लई के द्वारा अपने जीवनकाल में कमांक 2011397006875 दिनांक 24.02.2011 को रजिस्टर्ड वसियत नामा अपने पुत्र श्री दिलिप कुमार पिल्लई पुत्र स्व.श्री एन.एस.पिल्लई के हक में निष्पादित की गई है। मूल आवंटी श्रीमती अमीनी एस. पिल्लई पुत्री श्री पद्मनाभन पिल्लई का स्वर्गवास दिनांक 03.04.2025 एवं श्री एन.एस. पिल्लई का स्वर्गवास दिनांक 14.12.1995 को हो चूका है। आवेदक श्री दिलिप कुमार पिल्लई पुत्र स्व.श्री एन.एस.पिल्लई के द्वारा नाम हस्तान्तरण चाहा गया। इस नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, मालवीय नगर जोन नगर निगम जयपुर) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त
मालवीय नगर जोन नगर निगम जयपुर

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन) नगर निगम जयपुर
(अम्बाबाड़ी सर्किल, अम्बाबाड़ी, जयपुर)
क्रमांकः- एफ-55 (वि.जोन/ज.न.नि./2026/3631 दिनांकः- 19.02.26
सार्वजनिक सूचना भूखंड सं. 43, कृष्णा नगर, झोटवाड़ा जयपुर (बेस्सी सीताराम्पुरा गृह.नि.स.स) का श्रीमती राज चांवला पत्नी श्री जय किशन चावला को दिनांक 24.12.2002 क्षेत्रफल 261.22 वर्गगज भूमि का लीज डीड पट्टा जारी किया गया था। मूल आवंटी द्वारा रजि. उपहार पत्र द्वारा दिनांक 14.11.2017 के द्वारा भूखंड श्री मनीष चावला पुत्र श्री स्व. जय किशन चावला के पक्ष में कर दिया। भूस्वामी से उक्त भूखंड का पट्टा खो गया है। जिसकी भूस्वामी द्वारा FIR दर्ज करवाई गई है साथ ही समाचार पत्र में खोया पाया में विज्ञापन दिया गया है। आवेदक श्री मनीष चावला पुत्र श्री स्व. जय किशन चावला द्वारा भूखंड सं. 43, कृष्णा नगर, झोटवाड़ा जयपुर क्षेत्रफल 261.22 वर्गगज का नाम हस्तांतरण अपने पक्ष में किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि समाप्ति के बाद विधित नियमानुसार नाम हस्तांतरण की कार्यवाही संपादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त विद्याधर जोन, नगर निगम जयपुर

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन) नगर निगम जयपुर
(अम्बाबाड़ी सर्किल, अम्बाबाड़ी, जयपुर)
क्रमांकः- एफ-55 (वि.जोन/ज.न.नि./2026/3630 दिनांकः- 19.02.26
सार्वजनिक सूचना भूखंड सं. 42, कृष्णा नगर, झोटवाड़ा जयपुर (बेस्सी सीताराम्पुरा गृह.नि.स.स) का श्रीमती राज चांवला पत्नी श्री जय किशन चावला को दिनांक 24.12.2002 क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज भूमि का लीज डीड पट्टा जारी किया गया था। मूल आवंटी द्वारा रजि. उपहार पत्र द्वारा दिनांक 14.11.2017 के द्वारा भूखंड श्री मनीष चावला पुत्र श्री स्व. जय किशन चावला के पक्ष में कर दिया। भूस्वामी से उक्त भूखंड का पट्टा खो गया है। जिसकी भूस्वामी द्वारा FIR दर्ज करवाई गई है साथ ही समाचार पत्र में खोया पाया में विज्ञापन दिया गया है। आवेदक श्री मनीष चावला पुत्र श्री स्व. जय किशन चावला द्वारा भूखंड सं. 42, कृष्णा नगर, झोटवाड़ा जयपुर क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज का नाम हस्तांतरण अपने पक्ष में किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि समाप्ति के बाद विधित नियमानुसार नाम हस्तांतरण की कार्यवाही संपादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त विद्याधर जोन, नगर निगम जयपुर

आम-सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की मेरे क्लाइंट श्री राजेंद्र कुमार कुमावत पुत्र श्री नारायण लाल कुमावत निवासी - डी ब्लॉक 379, ऑफिसर्स कैंपस एक्सटेंशन, सिस्सी रोड का काले रंग का एक बेग जिसमे बैंक ऑफ़ बरोड़ा वैशाली नगर ब्रांच खाता संख्या 29610100010139 की तीन चेक बुक्स, SBI बैंक वैशाली नगर खाता संख्या 61316402358 की चार चेक बुक्स, आधार कार्ड, प्लाट न 41-42 श्याम कुञ्ज स्कीम, रोजदा की मूल रजिस्ट्रियां, कंस्ट्रक्शन साइटों के हिसाब के पेपर्स, बिल्स, लेबर कार्डस आदि डाक्यूमेंट्स थे, जो की कालवाड रोड से सिस्सी रोड के बीच में दिनांक 27 जनवरी 2026 को कही पर गिर गए थे, जिसके सन्दर्भ में मैंने एक पुलिस कम्पलेंट LR No - 3054067/2026, भी दर्ज करवा दी है, यदि कोई भी आम और खास व्यक्ति उक्त किसी भी पेपर या चेक का जाने अनजाने में दुरूपयोग करता है तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा और किसी को भी यह काले रंग का बेग या पेपर्स मिले तो कृपया संपर्क करें या सूचना देवे, डॉ आर डी कुमावत अधिवक्ता 9257751831, 9312561430. info@keyjurislegalfirm.com.
दिनांक 20/02/2026 (डॉ आर.डी. कुमावत एडवोकेट)

न्यायालय श्रीमान जिला जजी करौली (राज.)
श्रीमति बतूली देवी वगै. बनाम हर खास आम वगै.
C.M.13/24 तारीख पेशी 10.03.26
प्रार्थना पत्र बावत् उत्तराधिकार अंतर्गत धारा 3/2 मा.उ.अधि.
हर खास आम को सूचित किया जाता है कि मृतक मोतीलाल मीना निवासी मंडावरा तहसील सपोटरा जिला करौली का स्वर्गवास दिनांक 25.10.2020 को हो गया है। उनकी मृत्यु के समय बैंक ऑफ बडौदा शाखा कुडगांव में खाता संख्या 137501000 00329 में 2,28,367/- रू. तथा दो एफडीआर क्रमशः 037500001955 राशि 3,81,952/- एवं एफडीआर संख्या 1375000003735 राशि 3,72,061/- रू. है। जो बैंक में जमा है और इस राशि की प्राप्ति बावत् दतुली शिवकुमार, शिवकेश, सुगर, रमनबाई तथा विपक्षी धमनराज बावत् उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिये न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 372 उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। यदि किसी हर खास आम कोई आपत्ति है या अपना प्रतिउत्तर रखना हो तो न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश करौली में आकर अपना पक्ष रख सकते हैं।
मुहर
अज्ञानुसार- वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय करौली

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1532
चूंकि प्रार्थी श्री NAVRATAN SHARMA, OPP. SINDHI COLONY 5 ANANDPURI COLONY KALWAR ROAD JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास ग्राम विप्र भारती समिति JAGATPURA JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 24.04.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 233/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री सुनील मल्होत्रा निवासी एल-480, वृन्दा गार्डन, नियर जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जगतपुरा जयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत आदर्श सहयोग समिति, मुक्तिधाम आदर्श नगर जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 20/2/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 27/4/26

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-10144 दिनांक-04/02/26
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर योजना जयपुर मे मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप 12 प्रतिशत आवासीय विकसित भूखण्ड संख्या 86/159 क्षेत्रफल 986.41 वर्गमीटर का आवंटन का खतेदार श्री लाडूराम एवं श्री रामपाल पुत्र श्री कालूराम को किया गया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 0884 दिनांक 21.07.1999 को जारी किया गया था। श्री रामपाल की मृत्यु दिनांक 28.08.2009 को हो जाने के कारण 1/2 हिस्से पर उनके पुत्र श्री राधेश्याम एवं श्री हनुमान पुत्र स्व. श्री रामपाल द्वारा आवासन मण्डल मे रिकॉर्ड मे दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3265 दिनांक 22.03.2012 के द्वारा मण्डल रिकॉर्ड मे इनका नाम दर्ज किया गया। श्री लाडूराम की मृत्यु दिनांक 25.12.2024 को हो जाने के कारण पंजीकृत हक्कत्याग के आधार पर विकसित भूखण्ड के 1/2 हिस्से मे उनके पुत्र एवं भतीजे श्री राम वर्मा, श्री मिठू लाल, श्री राम किशोर पीपलीवाल, श्री कन्नन लाल पीपलीवाल पुत्रान् स्व. श्री लाडूराम एवं श्री हेमराज व श्री रमेश पीपलीवाल पुत्रान् स्व. श्री शंकर लाल द्वारा आवासन मण्डल म